न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 46/2016 जिला–सीकर।

1. सुवाराम पुत्र श्री महादुरान जाति जाट निवासी ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
2. प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम जाति जाट निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

अपीलान्टस्

बनाम

1. बलदेव पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
2. जयप्रकाश पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना जरिये मैनेजर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज)
4. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 22.03.2016 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 श्री रामकुमार सिंह।
3. वकील रेस्पाडेंट संख्या 1 व 2 श्री विरेन्द्र सिंह खांगारोत अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 23.02.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.03.2016 से व्यथित होकर अपीलांटस् सुवाराम एवं प्रभाती देवी के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 02 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भूमि ख0न0 3023 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 2024 रकबा 3.66 है0 कुल किता 2 रकबा 3.81 है0 वाके ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके पुराना ख0न0 1227 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा था। उक्त भूमि की खातेदारी जमाबंदी संवत 2038–2041 में उगम सिंह पि0 लाधु सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज थी जिसको जरिये विक्रय लेख दिनांक 01.01.1992 को बलदेव जयप्रकाश पुत्रान गोमाराम एवं अपीलांटस् सुवाराम पुत्र महादूराम, प्रभाती पत्नि सुवाराम ने बराबर–बराबर हिस्सा क्रय किया था तथा मौके पर उसी हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। विक्रय लेख का नामान्तकरण भी विक्रय लेख के अनुसार ही भरा गया था तथा जमाबंदी संवत 2051 तक सही चली आ रही है परन्तु सहखातेदार सुवाराम व प्रभाती देवी ने जब अपना किसान केडिट कार्य बनवाया तो अपना हिस्सा 2/3 व प्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 दर्ज करवा लिया जो कि गलत है तथा वर्तमान में भी उसी अनुसार चला आ रहा है। जबकि सुवाराम व प्रभातीदेवी का हिस्सा 1/2 एवं प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 होना चाहिये था। इसलिये प्रार्थीगण का हिस्सा संवत 2051 की जमाबंदी के आधार वर्ष के अनुसार करने का आदेश फरमाया जावे।
2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अपीलाधीन निर्णय 22.03.2016 पारित कर पुराने खसरा नम्बर 1227 मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 3023 व 3024 किता 2 रकबा 3.81 है0 वाके ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में पुरानी जमाबंदी संवत 2051 आधार वर्ष के अनुसार सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम व

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

बलदेव जयप्रकाश नाबालिक संरक्षक पिता गोमाराम पुत्र म्हादुराम जाति जाट निवासी शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकार दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टस् सुवाराम एवं प्रभाती देवी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपोलान्टस् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.03.2016 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्टस् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांटस् खसरा नम्बर 3023 एवं 3024 में बराबर हिस्से अनुसार सहखातेदार है, में अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो को ताक में रखकर निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस् को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा बिना कोई प्रकरण दर्ज किये, बिना कोई अपीलांटस् को नोटिस जारी किये, अपीलांटस् की बिना किसी आधार के खातेदारी समाप्त करने के आदेश प्रदान कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपोलाधीन आदेश पारित करने से पहले धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन नही किया, क्योंकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू प्रबन्ध के दौरान कोई लिपीकीय त्रुटि कारित की जाती हो तो विपक्षी पक्षकार को सुनवाई का असवर देकर अथवा उसकी सहमति लेकर उसे दुरूस्त किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में न जो कोई भू प्रबंध के दौरान लिपिकीय त्रुटि कारित की गई है तथा न विरोधी पक्षकार को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व संबंधित विक्रय पत्र का कोई अवलोकन नही किया। उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 20.12.1991 से क्रय की गई थी। जिसमें हिस्सा 1/3 सुवाराम पुत्र म्हादुराम द्वारा तथा हिस्सा 1/3 प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम तथा 1/3 हिस्सा बलदेव, जयप्रकाश पुत्रान गोमाराम का था। उपरोक्त अनुसार ही विक्रय प्रतिफल अदा किया था तथा उसी अनुसार हिस्स 2/3 पर काबिज हो गये। उसी अनुसार हिस्सा 2/3 पर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण प्राप्त किया जिससे किसी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नही थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु सहायक कलक्टर सीकर के न्यायालय में नियमित वाद दायर कर रखा है जिसमें अपीलांटस् द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त वाद में तहसीलदार दांतारामगढ भी पक्षकार है तथा वाद पत्र में वो ही अनुतोष चाहा है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया हैं। इसके बावजूद सभी तथ्य छिपाकर तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी से मिलीभगत कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अतः अपील अपीलांटस् स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय 22.03.2016 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 के द्वारा ख0न0 3023 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 2024 रकबा 3.66 है0 कुल किता 2 रकबा 3.81 है0 वाकै ग्राम शिश्यु अपनी हिस्से की खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना में आवेदन किया गया था। अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के आवेदन पत्र के आधार पर ऋण दिये जाने के पश्चात मुताबिक रहननामा नामान्तकरण संख्या 74 के द्वारा सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम हिसा 2/3 जाति जाट निवासी शिश्यु खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना मूर्तहीन दर्ज किया गया है।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांटस् भूमि खसरा नम्बर 3023 व 3024 के सहखातेदार हैं जो प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अपने हितों के लिये अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपीलान्टस् को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जिससे अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान समय पर नहीं होना स्वभाविक है ऐसी स्थिति में अपीलान्टस् के प्रार्थना धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 3023 एवं 3024 वाकै ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष रेस्पोंडेन्ट 1 व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख0न0 3023 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 2024 रकबा 3.66 है0 कुल किता 2 रकबा 3.81 है0 वाके ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके पुराना ख0न0 1227 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा था। उक्त भूमि की खातेदारी जमाबंदी संवत 2038–2041 में उगम सिंह पि0 लाधु सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को दिनांक 01.01.1992 को बलदेव जयप्रकाश पुत्रान गोमाराम एवं अपीलाटस् सुवाराम पुत्र महादूराम, प्रभाती पत्नि सुवाराम ने बराबर–बराबर हिस्सा जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था तथा मौके पर उसी हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। विक्रय लेख का नामान्तकरण भी विक्रय लेख के अनुसार ही भरा गया था तथा जमाबंदी संवत 2051 तक सही चली आ रही है परन्तु सहखातेदार सुवाराम व प्रभाती देवी ने जब अपना किसान क्रेडिट कार्य बनवाया तो अपना हिस्सा 2/3 व प्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 दर्ज करवा लिया जो कि गलत है तथा वर्तमान में भी उसी अनुसार चला आ रहा है। जबकि सुवाराम व प्रभाती देवी का हिस्सा 1/2 एवं प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 होना चाहिये था। इसलिये प्रार्थीगण का हिस्सा संवत 2051 की जमाबंदी के आधार वर्ष के अनुसार किया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के द्वारा उपतहसीलदार पलसाना जिला सीकर से रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार पलसाना ने अपने पत्रांक भू0अ0/16/131 दिनांक 17.02.1026 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रस्तावित किया की ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित भूमि पुराना खसरा नम्बर 1227 रकबा 15 बिघा 1 बिस्वा भूमि का सुवाराम पुत्र म्हादुराम वगैराह के द्वारा क्रय करने पर मुताबिक विक्रय लेख नामान्तकरण संख्या 1361 सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम व बलदेव जयप्रकाश नाबालिक संरक्षक पिता गोमाराम पुत्र म्हादुराम जाति जाट निवासी शिश्यु के नाम दर्ज होकर सही रूप से स्वीकार हुआ। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि खसरा नम्बर 1227 के नये खसरा नम्बर 3023 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 3024 रकबा 3.66 है0 दर्ज हो गये व खातेदारी मुताबिक गत जमाबंदी व नामान्तकरण के आधार वर्ष जमाबंदी संवत 2051 में सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम व बलदेव जयप्रकाश नाबालिक संरक्षक पिता गोमाराम पुत्र म्हादुराम जाति जाट निवासी शिश्यु खातेदार के नाम सही दर्ज हो गई। सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना से ऋण लेने के कारण मुताबिक रहननामा के ना. करण संख्या 74 के द्वारा सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम हिसा 2/3 जाति जाट निवासी शिश्यु खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना मूर्तहीन दर्ज कर दिया गया व शेष हिस्सा 1/3 साविक बदस्तूर रह गया। उक्त खातेदारी भूमि में सुवाराम वगैराह का हिस्सा 2/3 व बलदेव वगैराह का हिस्सा 1/3 बिना किसी आधार वर्ष के गलत रूप से हिस्से दर्ज कर दिये गये। अतः जमाबंदी संवत 2051 आधार वर्ष के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम व बलदेव जयप्रकाश नाबालिक संरक्षक पिता गोमाराम पुत्र म्हादुराम जाति जाट निवासी शिश्यु खातेदार किया जाना उचित रहेगा। उक्त रिपोर्ट पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2016 पारित कर पुराने खसरा नम्बर 1227 मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 3023 व 3024 किता 2 रकबा 3.81 है0 वाके ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में पुरानी जमाबंदी संवत 2051 आधार वर्ष के अनुसार सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम व बलदेव जयप्रकाश नाबालिक संरक्षक पिता गोमाराम पुत्र म्हादुराम जाति जाट निवासी शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये। हम समझते है कि वाके ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3023 रकबा 0.15 है एवं 3024 रकबा 3.66 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1227 थे की खातेदारी जमाबंदी संवत 2038–2041 में उगम सिंह पि0 मु0 लाधसिंह जाति राजपूत निवासी के नाम दर्ज थी जिसकी खातेदारी जरिये विक्रय पत्र

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 01.01.1992 से सुवाराम पुत्र म्हादुराम, प्रभाती देवी पत्नि सुवाराम व बलदेव जयप्रकाश नाबालिक संरक्षक पिता गोमाराम पुत्र म्हादुराम जाति जाट निवासी शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के नाम नामान्तकरण संख्या 1361 के द्वारा दर्ज हो गई जिसमें पक्षकार का हिस्सा दर्ज नही था लेकिन अपीलार्थीगण के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना से ऋण लेने के कारण पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आधार के रहननामा के ना. करण संख्या 74 में हिस्सा दर्शाते हुये उक्त खातेदारी भूमि में अपीलार्थीगण का हिस्सा 2/3 तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/3 बिना किसी आधार वर्ष के गलत रूप से हिस्से दर्ज कर दिये गये। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं उपतहसीलदार पलसाना की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2016 पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अर्पीलान्टस् सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः परिणामतः अपील अपीलान्टस् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner